उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद – 48/2021
नूर मोहम्मद वगै० बनाम् राज्य एवं मकबुल मियाँ वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
28.04.2023	यह वाद अपीलार्थी 1. नूर मोहम्मद, पिता–स्व० अहमद मियाँ उर्फ बुधु मियाँ, 2. अखबर अली, पिता–स्व० अहमद मियाँ उर्फ बुधु मियाँ, 3. मो० जम्मीरुद्दीन, पिता–स्व० अहमद मियाँ उर्फ बधु मियाँ, 4. रफुन निशा, पति–खाना मियाँ, 5. निबिया निशा, पति–मुसलिम मियाँ, सभी निवास ग्राम–आरा टोला, डुमरबेडा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़, 6. जैतुन निशा, पति–मुस्तकिम मियाँ, निवास ग्राम–आरा कॉटा, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़, 7. सैफुन निशा, पति–स्व० मंजूर मियाँ, 8. रोफितुन निशा, पति–अब्दुल हकिम, निवास ग्राम–चितरपुर प्रोजेक्ट, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़, 9. वाहिद अंसारी, 10. मोहिया अंसारी, 11. समद अंसारी, 12. आलीम अंसारी, 13. कालीम अंसारी, पिता–स्व० हजरत मियाँ, 14. जैरून निशा, पति–स्व० असीन मियाँ, 15. सैरून निशा, पति–मोबारक अंसारी, 16. इजरायल मियाँ, 17. इसराफिल मियाँ, 18. मिकैल मियाँ, 19. इजराईल मियाँ, , पिता–स्व० रजक मियाँ, 20. असरफ मियाँ, 21. हसीब मियाँ, 22. नसीम मियाँ, पिता–स्व० जफरैल मियाँ, 23. खाजो मियाँ, 24. अल्लौद्दीन मियाँ, 25. हकीमुद्दीन मियाँ, 26. रब्बानी मियाँ, पिता– स्व० नन्हु मियाँ, उर्फ बसारत हुसैन, 27. सिकंन्द्र, पिता–स्व० असीक मियाँ, 28. ताहिर मियाँ, 29. कालिमुल्लाह मियाँ, 30. सलीमुल्लाह मियाँ, पिता–स्व० सदी मियाँ, 31. सेराज अंसारी, 32. खुर्शीद अंसारी, 33. महम्मुद अंसारी, 34. हुसैन अंसारी, 35. इमतियाज अंसारी, पिता–स्व० महम्मुद मियाँ, निवास ग्राम–आरा टोला, डुमरबेडा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़, 36. हफीज खातुन, पति–स्व० सुभाष मियाँ, 37. अनीशा खातुन, पिता–स्व० सुभाष मियाँ, निवास ग्राम–मगनपुर, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़, 38. सगुफा खातुन, पति–सेराज अंसारी, 39. जियाउल कमर, पिता–स्व० सुभाष मियाँ, निवास ग्राम–डुमरबेडा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़, 40. मजहर आलम, पिता–स्व० अलिम मियाँ, 41. रसीद मियाँ, 42 मजलुम अंसारी, 43. रमजान मियाँ, 44. खुरबन मियाँ, पिता–स्व० जन्नत मियाँ, 45. रहीम मियाँ, 46. सहिम जफररी पिता–स्व० जलील मियाँ, 47. मुमताज अंसारी, पिता–स्व० अब्बाश मियाँ, 48. सब्बीर, 49. अनिश हुसैन, 50. मोईन मियाँ, पिता–स्व० समसुद्दीन मियाँ, 51. अनवर मियाँ, 52. असलम अंसारी, 53 अमजद अली, पिता– सदरूद्दीन मियाँ, 54. मसुम	

मियाँ, पिता–स्व० सगीर मियाँ, 55. गुलजार मियाँ, 56. मो० असलम पिता–स्व० सलामुद्दीन, 57. मो० हैदर अली, 58. मो० इकरार दोनो के पिता–स्व० निजामुद्दीन अंसारी, सभी निवास ग्राम–आरा टोला, डुमरबेडा, पो०–सारूबेडा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़, (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर विविध अपील वाद संख्या–03/2018–19 नूर मोहम्मद वगै० बनाम् राज्य एवं अन्य में दिनांक–18.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Jharkhand Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-2000 के तहत् प्रारम्भ किया गया। जिसमें राज्य, अंचल अधिकारी, सोनहातु राँची, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, राँची, मकबुल मियाँ, पिता–स्व० रहमान मियाँ, रोजन मियाँ, अलीजान मियाँ दोनो के पिता–स्व० इसमईल मियाँ ग्राम–रतवे, पो०–करमा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ एवं गुलाब चन्द्र अग्रवाल (Legal Advisor) ग्राम+पो०–चितरपुर, थाना–रजरप्पा जिला–रामगढ़ को विपक्षी बनाया गया है। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–आरा, थाना–माण्डू, थाना सं०–156 के खाता सं०–32, प्लॉट नं०–92, 93, 585, 586, 588, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 679, 680, 683, 709, 713, 714, 716, 813, 875, 876, 878, 879, 884, 888, 889, 922, 984, 985, 986, 988, 990, 991, 992, 993, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1026, 1028, 1033, 1034, 1051, 1052, 1075, 1199, 1201, 1202, 1206, 1217, 1226, 1233, 1236, 1251, 1252, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1267, 1270, 1271, 1272, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1284, 1285, 1296, 1302, 1303, 1304, 1234, 1297, 1289/1403 कुल रकवा–41.10 ए० भूमि से संबंधित है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में विविध अपील वाद संख्या–03/2018–19 नूर मोहम्मद वगै० बनाम राज्य एवं अन्य दायर किया गया था। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या–48/2021 दायर किया गया है। संबंधित पक्षों द्वारा दायर प्रतिस्थानी आवेदन स्वीकृत किये गये है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–आरा, थाना–माण्डू, थाना सं०–156 के खाता सं०–32, प्लॉट नं०–92, 93, 585, 586, 588, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 679, 680, 683, 709, 713, 714, 716, 813, 875, 876, 878, 879, 884, 888, 889, 922, 984, 985, 986, 988, 990, 991, 992, 993, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1026, 1028, 1033, 1034, 1051, 1052,

1075, 1199, 1201, 1202, 1206, 1217, 1226, 1233, 1236, 1251, 1252, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1267, 1270, 1271, 1272, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1284, 1285, 1296, 1302, 1303, 1304, 1234, 1297, 1289/1403 कुल रकवा–41.10 ए० भूमि सर्वे खतियान में शेख रहमतुल्लाह वल्द शेख इमामुद्दीन कौम जोल्हा के नाम से रैयती दर्ज है।

अपीलार्थी का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के विविध अपील वाद संख्या–03/2018–19 में दिनांक–18.03.2021 के पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में रिविजन दायर किया गया है। उन्होनें आगे कहा है कि मौजा–आरा थाना–माण्डू के खाता संख्या–32 कुल रकवा–41.10 ए० भूमि पर दिनांक–08.09.1992 को सब जज I हजारीबाग में टाईटल सूट संख्या–63/92 में पारित आदेश में उक्त भूमि को दो बराबर हिस्सा में बॉटने का आदेश पारित किया गया। खाता संख्या–32 कुल 88 प्लॉट कुल रकवा–41.10 ए० भूमि सर्वे खतियान में एस०के० रहमातुल्लाह के नाम से दर्ज है। रजीमुल्लाह मियॉ और उसके वैध उत्तराधिकारी का उक्त भूमि पर कोई Right, Title, Interest एवं भौतिक दखल कब्जा नहीं है। वे ग्राम रतवे थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ में अपने परिवार के साथ सर्वे के पहले से रह रहे है। एस०के० रहमातुल्लाह के वैध उत्तराधिकारी मौजा–आरा थाना–माण्डू संख्या–156 के खाता संख्या–32 कुल रकवा–41.10 ए० भूमि का आपसी बंटवारा कर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है और उन्हें भू–अर्जन कार्यालय, हजारीबाग एवं रामगढ़से मुआवजा राशि प्राप्त हुआ है। उनके हिस्से पार्टीशन सुट संख्या–73/61 सब जब, हजारीबाग से प्राप्त आदेश के आलोक में बिना किसी आपत्ति से किया गया। एस०के० रहमातुल्लाह, पिता–एस०के० इमामुद्दीन द्वारा रैयती भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें विपक्षी का कोई Right, Title, Interest एवं भौतिक दखल कब्जा नहीं है। विपक्षी ने वास्तविक तथ्य को दबाने के बाद सब जज, हजारीबाग से पार्टीशन सुट संख्या–63/92 में डिक्री प्राप्त की। उक्त भूमि का खतियान यह साबित करेगा। विपक्षी अजीमुल्लाह का पोता है जिनका 41.10 ए० भूमि से कोई संबंध नहीं है। एस०के० रहमातुल्लाह के वैध उत्तराधिकारी 1. बसारत हुसैन (मृत), 2. जन्नत हुसैन एवं अन्य (मृत), 3. फखरा खातुन (मृत) एवं सबजा खातुन (जीवित), 4. अहमद मियां एवं अन्य (मृत), 5. समसुद्दीन मियां (मृत) एवं सदरूद्दीन (मृत), 6. मकीरम खातुन (मृत), 7. महबूब हसन, 8. अब्बास मियां, 9. सुबास मियां, 10. अमीन मियां, 11. आशीक एवं अन्य के नाम से मौजा आरा थाना माण्डू थाना संख्या–156 के खाता संख्या–32 रकवा–41.10 ए० भूमि का लगान नियमित रूप से अदा किया जा रहा है। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के विविध अपील वाद संख्या–03/2018–19 भूमि सुधार वगै० बनांम राज्य एवं अन्य में दिनांक–18.03.2018 को पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–आरा थाना–माण्डू थाना संख्या–156 जिला–रामगढ़ के खाता संख्या–32 कुल–88 प्लॉट कुल रकवा–41.10 ए० भूमि रहमातुल्लाह पिता– इमामुद्दीन द्वारा रैयती भूमि अधिग्रहित किया गया है। रहमातुल्लाह मियां के मृत्यु के बाद 1. रसुल मियां, 2. जुमा मियां, 3. गोबर मियां, 4. वली मियां, 5. हेदायत मियां, 6. जैनुल मियां उनके वैध उत्तराधिकारी हुए। रसुल मियां और जुमा मियां की मृत्यु हो गयी है। गौहर मियां के मृत्यु के बाद उनके चार पुत्र बाढ़ो मियां वो हजारत मियां वो जफरैत मियां एवं रजक मियां उनके वैध उत्तराधिकारी हुए। बाढ़ो मियां के मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र नूर मोहम्मद वो अकबर अली एवं जमीरूद्दीन मियां उत्तराधिकारी हुए। वली मियां के मृत्यु के बाद उनके एक पुत्र नान्हु मियां वो हेदायत मियां के मृत्यु के बाद पुरन मियां वो सदी मियां वो महबुब मियां वो अब्बास मियां वो सुबास मियां वो अमीन मियां उनके वैध उत्तराधिकारी हुए। जैनुल मियां के मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र सादो मियां वो समसुद्दीन मियां एवं सागीर मियां उनके वैध उत्तराधिकारी हुए। जफरैल मियां के मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र गसीब मियां वो असरफ मियां एवं कुरबान मियां उनके वैध उत्तराधिकारी हुए। अब्बास मियां के मृत्यु के बाद उनका एक पुत्र चमटु मियां वैध उत्तराधिकारी हुआ। विपक्षी वास्तविक रूप से रहमातुल्लाह मियां के वंशज है। उन्हें रहमातुल्लाह मियां से सम्पति विरासत में प्राप्त हुआ है। इमामुद्दीन का पुत्र सर्वे के पहले से अलग हो गये थे और वे कभी भी संयुक्त परिवार में एक साथ नहीं रहते थे और उन्होनें कभी भी अनुसूचि में वर्णित संपत्ति का संयुक्त रूप से इमामुद्दीन के रूप में हासिल नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा मौजा–आरा के खाता संख्या–32 कुल रकवा–41.10 ए० भूमि पर दावा करना पुरी तरह गलत है। पार्टीशन सुट संख्या–37/61 सब जज, हजारीबाग में अपीलार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दायर किया गया था, जिसपर सब जज, हजारीबाग द्वारा विपक्षी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया। विपक्षी द्वारा उस आदेश के विरूद्ध टाईटल अपील संख्या–08/2006 जिला जज हजारीबाग में दायर किया, जिसमें आदेश पारित डिक्री को अलग रखा। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि रामगढ़ न्यायालय द्वारा एक बार अपीलार्थी के डिक्री को अलग रखा गया है। न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है कि निर्णय डिक्री अवार्ड या किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए है, उन्हें किसी पार्टी के अन्यायपूर्ण या अनियमित रूप से प्रभावित होने की स्थिति में रद्द करें। अपीलार्थी ने सब जज हजारीबाग में टाईटल सूट सख्या–63/1992 में भौतिक तथ्यों को दबाकर झूठा एवं गनगढ़त निर्णय के आधार पर डिक्री प्राप्त किया। विपक्षी ने पार्टीशन सूट संख्या–37/1961 सत्र जज, हजारीबाग के न्यायालय में दायर किया और रहमातुल्लाह मियां के वैध उत्तराधिकारी ने बीच मौजा–आरा के सम्पत्ति को बंटवारा किया है और मौजा–आरा थाना संख्या–156 जिला–रामगढ़ में लंबे समय से दखल कब्जा में है। पार्टीशन सूट संख्या–37/1961 से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को

मौजा–आरा थाना–माण्डू जिला–रामगढ़ के खाता संख्या–32 पर कोई संबंध नहीं है। उन्होनें अपीलार्थी के रिविजन आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–आरा, थाना–माण्डू, थाना सं०–156 के खाता सं०–32, प्लॉट नं०–92, 93, 585, 586, 588, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 679, 680, 683, 709, 713, 714, 716, 813, 875, 876, 878, 879, 884, 888, 889, 922, 984, 985, 986, 988, 990, 991, 992, 993, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1026, 1028, 1033, 1034, 1051, 1052, 1075, 1199, 1201, 1202, 1206, 1217, 1226, 1233, 1236, 1251, 1252, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1267, 1270, 1271, 1272, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1284, 1285, 1296, 1302, 1303, 1304, 1234, 1297, 1289/1403 कुल रकवा–41.10 ए० भूमि सर्वे खतियान में शेख रहमतुल्लाह वल्द शेख इमामुद्दीन कौम जोल्हा दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा विविध अपील वाद संख्या–03/2018–19 में जो आदेश पारित किया गया है, वह नियमसंगत नहीं है। क्योंकि विपक्षी का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। जबकि विपक्षी का कहना है कि टाईटल सूट संख्या–63/92 एवं 08/2006 में स्पष्ट आदेश प्राप्त हुआ है कि खाता संख्या–32 सन्निहित रकवा–41.10 ए० भूमि के संबंध में आधा हिस्सा का हक प्रदान किया गया, उसी के आधार पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा विविध अपील वाद संख्या–03/2018–19 एवं अंचल अधिकारी, माण्डू के विविध वाद संख्या–02/2017 में अनुपालन हेतु आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत है। उनका कहना है कि उक्त संबंध में सरकारी अधिवक्ता के द्वारा Legal Opinion हमलोगों के पक्ष में दिया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़/अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा टाईटल सूट संख्या–63/92 दिनांक–20.05.2006 एवं टाईटल सूट संख्या–08/2006 दिनाक–30.05.2017 में पारित आदेश का अनुपालन हेतु आदेश पारित किया गया है। चुँकि मामला व्यवहार न्यायालय में दायर टाईटल सूट में पारित आदेश से संबंधित है। इसलिए उक्त पारित आदेश पर इस न्यायालय के द्वारा पुनः किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना न्याय–संगत नहीं प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में इस वाद में किसी प्रकार का प्रभावशाली आदेश पारित किये बिना वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

संचित करें।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.07.20 16:40:34 +05:30
Location: 192.168.137.1

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
28.4.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
28.4.23
उपायुक्त,
रामगढ़।